संख्या– 78 /VI-I/2008–2(19)07

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून दिनांक 28 मार्च, 2008

विषय :–राज्य अभिलेखागार के कार्मिकों को अन्य भत्तें का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2693/सं.नि.उ./2–3/2007–08 दिनांक–20–3–08 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक प्रकरण में रू0 9.00 हजार (रू0 नौ हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्न शर्त एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार एवं संलग्नक–क के अनुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

5. उपरोक्त व्यय निम्नानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा :–

वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदान संख्या–11–2205–कला एवं संस्कृति–00–104–अभिलेखागार–03–राज्य अभिलेख–00–01–वेतन मानक मद के आयोजनागत पक्ष में हो रही बचतों से रू0 9.00 हजार मात्र (रू0 नौ हजार मात्र) अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–104–अभिलेखागार–03–राज्य अभिलेख–00–06–अन्य भत्तें मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से पक्ष में स्थानान्तरित करते हुए किया जायेगा। उपरोक्त पुनर्विनियोग संलग्न 'क' के कालम–1 के बचतों से वहन किया जायेगा।

6. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 536 (एन.पी.)/वित्त अनु0–3/2008 दिनांक–26 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 178/VI-I/2008–2(19)07 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. एन0आई0सी0 देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

बी0एम0–15

## पुनर्विनियोग 2007–08 विवरण पत्र

प्रशासनिक विभाग–संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन

नियन्त्रण अधिकारी–निदेशक, संस्कृति निदेशालय। देहरादून दिनाक

संख्या–

आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपये में)

| बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण | मानक मदवार अध्यावधिक व्यय | वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय | अवशेष सरप्लस धनराशि | लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है। | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि | पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष कुल धनराशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| अनुदान संख्या–11<br>2205–कला एव संस्कृति<br>00–<br>104–अभिलेखागार<br>03–राज्य अभिलेख<br>00–<br>01–वेतन 650 | 498 | – | 152 | अनुदान संख्या–11<br>2205–कला एव संस्कृति<br>00–<br>104–अभिलेखागार<br>03–राज्य अभिलेख<br>00–<br>06–अन्य भत्ते 9 | 81 | 641 | वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु 06–अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 72000=00 मात्र धनराशि प्राविधानित की गयी थी जो कि माग की अपेक्षा काफी कम है। चालू वित्तीय वर्ष में अभिलेखागार के कर्मियों को अन्य भत्ते के भुगतान में रूपये 8605=00 मात्र धनराशि का व्ययाधिक्य हुआ है। इस व्ययाधिक्य की प्रतिपूर्ति पुनर्विनियोग के माध्यम से की जानी है। अतएव उक्त मानक मद के आयोजनेत्तर पक्ष में रूपये 9,000=00 मात्र अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति की नितान्त आवश्यकता है। |
| योग 650 | 498 | – | 152 | 9 | 81 | 641 | – |

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लघन नहीं होता है।

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3
संख्या–536(1)/वित्त अनुभाग–3/2008
देहरादून दिनांक 25 मार्च 2008
पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव,वित्त
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– दिनाक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4–वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
5–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।